क्रमांक 4495-1 जी0एस0-1-72/23046

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी विभागीय अध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल,
तथा सभी उपायुक्त और उप-मण्डल अधिकारी, हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा, उच्च-न्यायालय, चण्डीगढ़ और
सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।

दिनांक, चण्डीगढ़ 7 अगस्त, 1972।

विषय :— Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955, के विनियम 3 (सी) तथा (डी) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा की गई नियुक्तियां।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाऊँ और कहूँ कि Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955 के विनियम 3 (सी) तथा (डी) में दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी नियुक्त प्राधिकारी को 6 मास के लिए नियुक्त करने का अधिकार है। 6 मास के आगे तदर्थ नियुक्ति को जारी रखने के लिए लोक सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है चाहे तदर्थ नियुक्ति की अवधि कितने ही समय के लिए बढ़ाने का प्रश्न क्यों न हो। इस संबंध में सरकार के परिपत्र क्रमांक 5999-5 जी0एस0-1-69/23700, दिनांक 27-10-1969 द्वारा ये हिदायतें जारी की थीं कि प्रत्येक तदर्थ नियुक्ति के 15 दिनों के अन्दर अन्दर पूर्णरुप से भरा हुआ मांग-पत्र लोक सेवा आयोग को अवश्य भेज दिया जाए ताकि आयोग अपनी सिफारिश समय पर भेज सके। सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे उदाहरण आये हैं जिनमें कि इन हिदायतों का कठोरता से पालन नहीं किया गया है, यद्यपि ये हिदायतें सरकार के परिपत्र क्रमांक 6317-जी0एस0-1-72/21913, दिनांक 20-8-1970 द्वारा दोहराई भी गई थीं। इन हिदायतों की पालना करके 15 दिनों के अन्दर-अन्दर आयोग को पूर्ण रूप से भरा हुआ मांग-पत्र न भेजने का कारण यह ध्यान में आया है कि तदर्थ नियुक्ति करने से पहले विभागों द्वारा पद की योग्यताएं, आयु तथा भर्ती के तरीके आदि मुकम्मल तौर पर तय नही किए जाते व तदर्थ नियुक्ति के बाद विभाग यह विचार करने लगते हैं कि पद को पदोन्नति द्वारा भरा जाए या अन्य किसी तरीके से भरा जाए या पद को रैगुलर तौर पर भरा भी जाए या नहीं, आदि। इस संबंध में सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि तदर्थ नियुक्ति के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर लोक सेवा आयोग को पूर्ण रुप से भरा हुआ मांग पत्र अवश्य भेजा जाए तथा पद की योग्यताएं, आयु, भर्ती के तरीकों आदि से सम्बन्धित सभी मामलों को तय किए बिना कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाए। इस बारे में आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 2536-1 जी0एस0-1-71/13539, दिनांक 4-6-1971 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर भी दिलाया जाता है जिनके अनुसार यदि निर्धारित योग्यताएं पूरी करने वाले उम्मीदवार न मिलते हों और पद को पूरा भरा जाना लोक हित में अति आवश्यक हो तो कम योग्यताओं वाले उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्तियां केवल मुख्य सचिव की अनुमति से ही की जा सकती हैं।

2. लोक सेवा आयोग ने सूचित किया है कि तदर्थ नियुक्तियों की 6 मास अवधि की के बाद जारी रखने की अनुमति के लिए जब विभाग आयोग को प्रस्ताव भेजते हैं तो वे पूर्ण सूचना के साथ नहीं भेजे जाते जिसके कारण आयोग को संबंधित विभाग को लिखना पड़ता है और इस प्रकार केसों के निपटारे में अनावश्यक देरी हो

आगे की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन के लिए प्रस्ताव आयोग को भेजा जाए तो उसमें निम्नलिखित सूचना भी अवश्य दी जाए :—

(i) तदर्थ तौर पर नियुक्त किए गए कर्मचारी की :—

1. योग्यताए
2. अनुभव
3. जन्म तिथि
4. तदर्थ नियुक्ति की तिथि ।

(ii) पद को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए मांग-पत्र भेजा गया है या नहीं । यदि हाँ तो पत्र का नम्बर तथा तिथि दी जाए ।

(iii) (क) क्या तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारी संबंधित सेवा नियमों में या मांग-पत्र में दी गई योग्यताए, अनुभव तथा आयु आदि की अनिवार्य शर्तों को पूरी करता है ।

(ख) परिपत्र क्रमांक 2536-1 जी0एस0-1-71/13539, दिनांक 4-6-72 द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है या नहीं । यदि हां तो मुख्य सचिव के अनुमोदन की एक प्रति साथ लगाई जाए ।

3. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों को सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में कठोरता से अनुपालन के लिए लाया जाए तथा इस पत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति :—

1. सभी वित्तायुक्त, हरियाणा तथा
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

को सुचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

हस्ता/-

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी वित्तायुक्त, हरियाणा।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा0 क्रमांक 4495-1 जी0एस0-1-72, दिनांक चण्डीगढ़ 7-8-1972.

क्रमांक 105-5 जी. एस. I-73/1531

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उपमण्डल अधिकारी ।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दिनांक चण्डीगढ़, 17 जनवरी, 1973 ।

विषय :— अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा की सिफारिशों पर नियुक्ति करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाऊँ और कहूँ कि सरकार के ध्यान में यह आया है कि अधीन सेवाएँ प्रवरण मण्डल द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को विभाग किसी न किसी कारण नियुक्त नहीं करते और उन व्यक्तियों के नाम वापिस लौटा देते हैं । इससे न केवल तदर्थ नियुक्तियाँ अधिक समय के लिये जारी रखी जाती हैं बल्कि जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको भी समय पर नियुक्ति नहीं मिलती तथा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

2. सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि जब भी विभाग अपना माँग-पत्र बोर्ड को भेजें तो उस समय स्पष्ट तौर पर यह बता दिया करें कि उन्हें किन योग्यताओं और अनुभव के व्यक्ति चाहियें तथा इस बारे में किसी प्रकार के शक की गुन्जाईश न रखी जाये । इसके अतिरिक्त बोर्ड को भी यह चाहिये कि जब भी वह किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश किसी विभाग को करे तो उस विभाग द्वारा भेजे गये माँग-पत्र की ध्यान पूर्वक जाँच कर लिया करें तथा उनके माँग-पत्र के अनुसार ही ऐसे व्यक्तियों के नाम भेजें जो माँग को पूरा करते हों । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि किसी कारण बोर्ड द्वारा ऐसे उम्मीदवार भेज दिये जाते हैं जो विभाग द्वारा निर्धारित योग्यतायें यदि पूरी न करते हों तो बोर्ड की सिफारिश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अन्दर अवश्य पूरे कारण देते हुए विभाग बोर्ड को लिख दें ताकि उस उम्मीदवार के नाम की सिफारिश बोर्ड किसी और विभाग में कर सके । अतः मेरी आप से प्रार्थना है कि इन अनुदेशों की पालना कठोरता से की जानी चाहिए और किसी भी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिये ।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाये ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है :—

(1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा,
(2) हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

हस्ता/-
उप सचिव, राजनैतिक सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ।
(2) हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।